



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
CHANGE



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional
Office, Chandigarh

फाइल नम्बर: 9-HRB188/2021-CHA

दिनांक: 20.12.2021

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा।

विषय: Diversion of 0.7570 Ha. Forest land for laying of 600mm/450mm DI pipe line for Raw water from (Gurugram District Boundary) Hari Nagar Dooma to Musaidpur water works & Musaidpur water works to Mehchana water works in Dist.Gurgaon. (online proposal no. FP/HR/WATER/124769/2021)

सन्दर्भ: i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 10081/4920 दिनांक 20.11.2021.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.757 ha वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाए।
- संशोधित प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम 1514 पौधों के स्थान पर 4400 पौधों के लिए भेजी जाए।
- भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र संशोधित प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार भेजा जाए।

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:

- The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Gurugram, Haryana (dfo.ggn-hry@nic.in,dfo.gurgaon@yahoo.in).
- Sudhir Ransiwala, Executive Engineer , PHED GURUGRAM. (phedgurgaon@gmail.com)

Signed by Raja Ram Singh